रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 519] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1982/कार्तिक 21, 1904
No. 519] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1982/KARTIKA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का०आ० 797(अ)—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग के आदेश सं० का०आ० 1811 तारीख 29 मई, 1976 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारी, अर्थात् श्री एम०बी०एन० राव, अपर सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा०सं० 671/2/74-सीमा शुल्क-8]
ओ०पी० गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 797(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), and in supersession of the order of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. S.O. 1811, dated the 29th May, 1976, the Central Government hereby specially empowers the following officer of the Central Government, namely, Shri M.V.N. Rao, Additional Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No 671/2/74-Cus. VIII]

O. P. GULLA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982